

  
भारत का राजपत्र  
The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1096]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 19, 2014/वैशाख 29, 1936

No. 1096]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 19, 2014/VAISAKHA 29, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मई, 2014

का.आ.1324(अ).—केन्द्रीय सरकार, मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 41 की उप-धारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन भूतल परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 444(अ) तारीख 12 जून, 1989 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, जो कि तारीख 2 जून, 2014 को प्रवृत्त होगी, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम संख्या 29 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

“ 29क तेलंगाना टीजी ”

[फा.सं. आर.टी.-11028/05/2014-एम.वी.एल.]

संजय बंदोपाध्याय, संयुक्त सचिव

टिप्पण :- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में का.आ. 444(अ) तारीख 12 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. का.आ. 1401(अ) तारीख 21 जून, 2012 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND  
HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th May, 2014

S.O. 1324(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 41 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of Government of India in the then Ministry of Surface Transport No. S.O. 444(E), dated the 12<sup>th</sup> June, 1989, with effect from the 2<sup>nd</sup> June, 2014, namely:—

In the Table to the said notification, after serial No.29 and the entries relating thereto, the following serial No. and entries shall be inserted, namely:-

“29A Telangana TG”.

[F. No. RT-11028/05/2014-MVL]

SANJAY BANDOPADHYAYA, Jt. Secy.

Note : The Principal notification was published in the Gazette of India, vide S.O.444(E), dated the 12th June, 1989 and was last amended vide S.O.1401(E), dated the 21st June, 2012.